राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मंडावर जिला दौसा (राज.)

प्रकरण संख्या – 16 / 2023(विविध) पीठासीन अधिकारी – भावना शर्मा (आर.ए.एस.)

उनवान

1 ब्रजमोहन मीना पुत्र स्व. श्री जगदीश प्रसाद मीना जाति मीना निवासी झूथांहेडा कलां तहसील बैजूपाडा जिला दौसा राज.

2 शिवदयाल पुत्र स्व. श्री जगदीश प्रसाद मीना जाति मीना निवासी झूथांहेडा कलां तहसील बैजूपाडा जिला दौसा राज। ---------(प्रार्थीगण)

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बैजूपाडा जिला दौसा राज.।

--------(अप्राथी)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा, 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात

निर्णय **दिनांक –12.06.2023**

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय मे इस आशय का प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि **वाके रामा झूंथाहेडा कलां, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा के आराजी खसरा नम्बर 648 रकबा 0.03 व 653 रकबा 0.07 हैक्टेयर**, भूमि उसके खाते की स्थित हैं। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं हिस्से की आराजी भूमि की सीमा का निर्धारण हो जावे ताकि किसी अन्य व्यक्ति से आराजी के हिस्से को लेकर कोई वाद विवाद प्रार्थीगण एवं इनके परिवार को ना हो। प्रार्थीगण की कब्जे काश्त एवं हिस्से की आराजी की सीमा तय नहीं होने से अन्य व्यक्तियों द्वारा अवैध अतिक्रमण कर लेने से प्रार्थीगण की कब्जे

काश्त की आराजीयात को नुकसान होना लाजिम है। प्रार्थीगण अपने कब्जे काश्त की भूमि **वाके रामा झूंथाहेडा कलां, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा के आराजी खसरा नम्बर 648 रकबा 0.03 व 653 रकबा 0.07 हैक्टेयर,** प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। इसी दौरान पत्रावली प्रशासन गॉवों के संग अभियान 2023 के लिए चिन्हित की गई। अप्रार्थी तहसीलदार बैजूपाडा ने जवाब प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है **कि विवादित आराजी वाके रामा झूंथाहेडा कलां, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा के आराजी खसरा नम्बर 648 रकबा 0.03 व 653 रकबा 0.07 हैक्टेयर, में खातेदारी ब्रजमोहन पुत्र जगदीश प्रसाद हिस्सा 1/3, रेखा देवी पत्नी महेन्द्र सिंह हिस्सा 1/6, शिवराम पुत्र जगदिश हिस्सा 1/3, नाबालिक शिवानी पुत्री महेन्द्रसिह संरक्षक सरपस्त रेखा देवी हिस्सा 1/6 जाति मीना सा. देह दर्ज रिकॉर्ड है।** प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 04.05.2023 को उपरोक्त आराजी का मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड सीमाज्ञान कर भुजाओं पर निशानात् लगाये गये। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि वाके रामा झूंथाहेडा कलां, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा के आराजी खसरा नम्बर 648 रकबा 0.03 व 653 रकबा 0.07 हैक्टेयर, भूमि की पत्थरगढी सीमाज्ञान में लगाये गये निशानात् के अनुसार किये जाने की अभिशंषा की।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। **प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं।** अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

–::आदेश ::–

प्रार्थी का **प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा, 128, रा.भू.राजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी** स्वीकार किया जाकर वाके **वाके रामा झूंथाहेडा कलां, तहसील बैजूपाडा जिला दौसा के आराजी खसरा नम्बर 648 रकबा 0.03 व 653 रकबा 0.07 हैक्टेयर,** भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान /तहसीलदार बैजूपाडा के सीमाज्ञान अनुसार की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू–अभिलेख

निरीक्षक बैजूपाडा को रूपये 1500 /– फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण द्वारा अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढ़ी नहीं की जावें। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बैजूपाडा को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश पत्रावली प्रशासन गॉवों के संग अभियान 2023 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत बैजूपाडा में दिनांक 12.06.2023 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(भावना शर्मा)
शिविर प्रभारी
उपखण्ड अधिकारी,
मंडावर (दौसा)